राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू के आगे, जे. जे.

हरद्वारी लाल और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य- उत्तरदाता

सी. आर. ए.-डी. No.455-DB का 2004

07 दिसंबर, 2018

भारतीय दंड संहिता, 1860-Ss.302 और 304 भाग 1-तुरंत लड़ाई-अभियुक्त का मामला आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत नहीं आता है-आयोजित, अभियुक्त का कार्य पूर्व नियोजित नहीं है-चूंकि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला करते समय फारसी, जेली का इस्तेमाल किया था, इसलिए उनका इरादा शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों को मारने का था-इस प्रकार, मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 1 के तहत आएगा-अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

माना जाता है कि, हरद्वारी लाल ने मृतक के सिर पर फारसी प्रहार किया था।विजय ने मृतक के सिर पर फारसी प्रहार किया था।रमेश ने मृतक की छाती पर जेली से वार किया था।हजारी ने मृतक के दाहिने हाथ की हथेली के पीछे लाठी से वार किया था। बलबीर ने मृतक की नाक पर फारसी प्रहार किया था।सुमित ने शीश राम के बाएं कंधे पर फारसी प्रहार किया था। भूप सिंह ने मृतक के माथे पर फारसी प्रहार किया था। सूरज भान ने पीडब्लू-2 बीर सिंह के सिर पर फारसी प्रहार किया था।सुमित और बिमला ने शीश राम को चोट पहुँचाई थी। अपीलकर्ताओं ने अपराध के हथियार के रूप में फारसी और लाठियों का इस्तेमाल किया था।अपीलार्थियों का कार्य पूर्व नियोजित नहीं है।जमीन पर कब्जा करने के लिए मौके पर लड़ाई हुई।उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि शिकायतकर्ता पक्ष मौके पर मौजूद होगा।मौके पर केवल पीडब्लू-1 कंवर सिंह मौजूद थे।उसने अपने पिता और चाचाओं को सूचित किया, जो मौके पर पहुंचे।इसके बाद अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया जिसके कारण रुरा राम की मौत हो गई। अपीलार्थियों का मामला आई. पी. सी. की धारा302 के तहत नहीं आएगा।

(पैरा 33)

आगे कहा कि चूंकि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला करते समय फारसी, जेली का इस्तेमाल किया था, इसलिए उनका इरादा शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों को मारने का था।वे फारसी और लाठियों से लैस ट्रैक्टर पर आए।इस प्रकार यह मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-1 के तहत आएगा। (पैरा 41) ने आगे कहा कि अपील आंशिक रूप से अनुमति है।अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 302 से धारा 304 भाग 1 में बदल दिया गया है। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा को शेष अपराधों के लिए बरकरार रखा जाता है।याचिकाकर्ता जमानत पर हैं।उन्हें सजा की पर सुनवाई करने के लिए अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

(पैरा 42)

R.S.Cheema, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ

सुमनजीत कौर, अधिवक्ता

अपीलार्थियों के लिए

सी. आर. ए.-डी.-455-डी. बी.-2004 में और प्रतिवादीगण के लिए नहीं।1 सी. आर. आर.-1414-2004 में 12।

B.S.Saroha, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए

सी. आर. आर.-1414-2004 में।

विशाल गर्ग, एडिशनल।ए. जी. हरियाणा।

राजीव शर्मा, जे.

(1) चूँकि कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न उपरोक्त अपील और पुनरीक्षण याचिका में शामिल हैं, इसलिए इन्हें एक साथ लिया जाता है और एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जाता है।

(2) यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रेवाड़ी द्वारा सत्र मामले संख्या 58 में दिए गए 31.03.2004 और 02.04.2004 दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ शुरू

की गई है।अपीलार्थियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 148,149,323,324,326,302 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया।अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 148 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास और Rs.250 का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई-प्रत्येक और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, 15 दिनों की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई,

उन्हें भी धारा 323/149 आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास और Rs.500 का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई-प्रत्येक और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर एक महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।आई. पी. सी. की धारा 324/149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन्हें भी दोषी ठहराया गया और दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर Rs.1000 का जुर्माना लगाया गया-और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, दो महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।उन्हें धारा 325/149 आईपीसी.के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और दो साल और छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर Rs.1500 का जुर्माना लगाया गया और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर तीन महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।उन्हें धारा 326/149 आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और Rs.2000 का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई-प्रत्येक और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, चार महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें भी आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर Rs.5000 का जुर्माना लगाया गया और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था।

(3) शिकायतकर्ता ने आपराधिक 2004 का पुनरीक्षण सं.1414 सजा और मुआवजे में वृद्धि के लिए अधिनियम।

(4) संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि जब एस. आई./एस. एच. ओ. के नेतृत्व में पुलिस दल सामान्य गश्त के संबंध में बावल के सर छोटू राम चौक पर मौजूद

था, तो शिकायतकर्ता कंवर सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया।शिकायत में दिए गए बयानों के अनुसार, उनके पिता के दो भाई थे-रुरा राम और बुद्ध राम और एक बहन थी।शरबती की शादी गांव मऊ में हुई थी। वह मर चुकी थी।Smt.Sharbati के स्वामित्व वाली भूमि उनके दो बेटों राजा राम और मौजी राम को विरासत में मिली थी। उन्होंने इस 23 कनाल 8 मरले की जमीन को अपने गाँव के सूरज भान, बलबीर और रमेश आदि निवासियों को 21.05.2001 पर बेच दिया।इस भूमि का विभाजन नहीं किया गया था। उनके पिता शीश राम पूरे संयुक्त खेवट की खेती करते थे।उन्होंने एक ट्यूबवेल भी लगाया था।सूरज भान आदि की भूमि उनके ट्यूबवेल से जुड़ी हुई है।घटना से लगभग 5 दिन पहले, उन्होंने दो एकड़ भूमि में ग्वार की फसल बोई थी।06.06.2001 को लगभग 8 बजे फारसी से लैस आरोपी व्यक्ति मौके पर पहुंचे।वे जेली और लाठियों से भी लैस थे।उन्होंने ग्वार की फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया।कंवर सिंह अपने घर गए। उसने अपने पिता और चाचाओं को सूचित किया।उसके पिता और चाचा मौके पर पहुंचे। रुरा राम ने अपीलकर्ताओं से फसल को नष्ट नहीं करने का अनुरोध किया।अपीलार्थी हरवारी लाल ने रुरा राम के सिर पर फारसी प्रहार किया। भूप सिंह ने रूरा राम के माथे पर फारसी प्रहार किया। बलबीर ने रूरा राम की नाक पर फारसी प्रहार किया। विजय ने रुरा राम के सिर के बीच में एक फारसी प्रहार किया। रुरा राम खुद को बचाने के लिए शीश राम और बुद्ध राम की ओर भागा।रुरा राम गिर पड़े।सुमित ने शीश राम के बाएं हाथ पर फारसी प्रहार किया। रमेश ने रुरा राम की छाती पर जेली से वार किया। हजारी ने गिरे हुए रुरा राम के बाएं हाथ की कलाई पर लाठी से वार किया। शोर सुनकर उसके परिजन मौके पर पहुंच गए।कई ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए।याचिकाकर्ता मौके से फरार हो गए।घायलों को अस्पताल ले जाया गया।वे पीडब्लू-7 डॉ. अशोक कुमार रूप में जाँच की गई। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट को साबित कर दिया।याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।उन्होंने इन्साफ बयान दिए।उनके मामलों अपराध में उपयोग किये हथियार बरामद कराए।रुरा राम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एफ़. आई. आर. दर्ज की गई।मामले की जांच की गई और सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया।

(5) अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों से पूछताछ की।अपीलार्थियों का बयान भी धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार किया है।अपीलकर्ताओं ने बचाव पक्ष के गवाहों को भी पेश किया है।उनके अनुसार, उन्होंने कानून के अनुसार जमीन खरीदी थी।अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है।इसलिए यह अपील की गई है।

(6) अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को साबित करने में विफल रहा है।

(7) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने 31.03.2004 और 02.04.2004 दिनांकित निर्णय और आदेश का समर्थन किया है।

(8) शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि सजा बढ़ाई जाए और उसके मुवक्किल को मुआवजा दिया जाए।

(9) हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और निर्णय को पढ़ा है और बहुत सावधानी से रिकॉर्ड किया है।

(10) पीडब्लू-1 कंवर सिंह ने गवाही दी कि उनके पिता के दो भाई और एक बहन थी। उनकी चाची की शादी गांव माउ में हुई थी। वह मर गई।उनका नाम शरबती था।यह भूमि उनके बेटों मौजी राम और राजा राम को विरासत में मिली थी। उन्होंने जमीन सूरज भान, बलबीर, रमेश आदि को बेच दी। उनके पास संयुक्त भूमि थी।उनके पिता पूरी जमीन पर खेती करते थे।उन्होंने एक ट्यूबवेल लगाया था।माउजी राम और राजा राम के हिस्से में आने वाली भूमि का कब्जा कभी भी सूरज भान आदि को नहीं सौंपा गया। उन्होंने ट्यूबवेल से लगी भूमि में ग्वार की फसल बोई थी।06.06.2001 को सुबह लगभग 8 बजे वे खेतों में मौजूद थे।अपीलार्थी फारसी, लाठी और जेली से लैस होकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने खेत की जुताई की।उन्होंने मैदान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। उसने अपने पिता और चाचाओं को इस घटना के बारे में बताया।उनके चाचा रुरा राम, बुद्ध राम और पिता शीश राम मौके पर पहुंचे।वह भी उनके साथ गया।रुरा राम ने अपीलकर्ताओं से अनुरोध किया कि जब तक उनके शेयरों का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक वे जबरन कब्जा न करें।हरद्वारी ने अपने चाचा रूरा राम के सिर पर फारसी प्रहार किया। भूप सिंह ने रूरा राम के माथे पर फारसी प्रहार किया। बलबीर सिंह ने रूरा राम की नाक पर फारसी प्रहार किया। विजय ने रूरा राम के सिर के बीच में फारसी प्रहार किया।रुरा राम ने खुद से भागने की कोशिश की।उसका पीछा किया गया और फिर से उसकी पिटाई की गई।उनके परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हो गए।उन्हें अस्पताल ले जाया गया।जिरह में उसने स्वीकार किया है कि बैनामा के निष्पादन के समय, राजा राम और मौजी राम ने जमीन का कब्जा खरीददारों को सौंप दिया था।वह मृतक रूरा राम की उम्र नहीं बता सके। वह अपने पिता की उम्र भी नहीं बता सके।

(11) पीडब्लू-2 बीर सिंह ने गवाही दी कि वह अपने घर में मौजूद थे।शोर सुनकर वह मौके पर पहुंच गया।हरद्वारी, बलबीर, रमेश आदि शीश राम के खेत की जुताई कर रहे

थे। कंवर सिंह, रुरा राम, शिश राम भी उपस्थित थे।उन्होंने देखा था कि रुरा राम के सिर पर चोटें आई थीं और वही चोटें आरोपी व्यक्तियों ने लगाईं थीं।रुरा राम ने भागने की कोशिश की।उन्होंने विजय को रुरा राम के सिर पर फारसी प्रहार करते देखा। उन्होंने रुरा राम को बचाने की कोशिश की। सूरज भान ने उनके सिर पर फारसी प्रहार किया। वह बेहोश हो गया।जिरह में, उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि वह यह नहीं बता सकते कि किसने लड़ाई शुरू की थी।वह यह भी नहीं बता सके कि विजय सिंह द्वारा की गई चोट को छोड़कर मृतक के व्यक्ति को किसने चोट पहुंचाई थी।

(12) पीडब्लू-3 सुरेश ने गवाही दी कि उनके पिता के दो भाई और एक बहन थी जिसका नाम शरबती था।उन्होंने पीडब्लू-1 कंवर सिंह के बयान की पुष्टि की है कि जिस तरह से अपीलकर्ताओं ने रुरा राम और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न चोटें पहुंचाई थीं। अपनी जिरह में, उन्होंने स्वीकार किया था कि विवादित भूमि उनके चचेरे भाइयों, राजा राम और मौजी राम के हिस्से में आ गई थी।उन्होंने यह भी कहा कि घटना से पहले आरोपी व्यक्तियों के साथ उनके सामान्य संबंध थे।

(13) पीडब्लू-6 शीश राम ने पदच्युत किया कि उनकी बहन शरबती की मृत्यु के बाद, संपत्ति उनके दो बेटों राजा राम और मौजी राम को विरासत में मिली थी। उनके हिस्से में आने वाली कुल भूमि 23 कनाल और 8 मरला थी।राजा राम और मौजी राम ने इस जमीन को सूरज भान आदि को बेच दिया। अपीलार्थी मौके पर पहुँचे और उन्होंने रुरा राम को घातक प्रहार दिया। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से शिकायतकर्ता पक्ष को पीटा गया था।उन्होंने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में शरबती के नाम पर और उनकी मृत्यु के बाद उनके दो बेटों राजा राम और मौजी राम के नाम पर कब्जा और उत्परिवर्तन दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रूरा राम ने घटना से पहले ही अपनी जमीन का निपटान कर दिया था।उन्होंने खेवट से दो तिहाई किला जमीन भी बेच दी थी।

(14) पीडब्लू-7 डॉ. अशोक कुमार ने घायल लाडो की चिकित्सकीय जांच की थी। उन्होंने लाडो के शरीर पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

1. “ 6 x 1.5 से. मी. आकार का एक कटा हुआ घाव, साफ़ कट मार्जिन, दरांती के आकार का, यह हड्डी तक गहरा था।चोट से खून बह रहा था।यह खोपड़ी के बाईं ओर स्थित था।

2. 5 x 1.5 से. मी. आकार का घाव अनियमित आकार का, मांसपेशियों का गहरा, रक्तस्राव था।यह हड्डी से गहरा था और खोपड़ी के बीच में स्थित था।

3. 8 x 2 सेंटीमीटर के आकार की चोट, ऊर्ध्वाधर रूप से रखी गई, लाल रंग की, पीठ के दाईं ओर, पीठ के बीच में मौजूद होती है।

4. आकार 6 x 2 से. मी. का घाव, ऊर्ध्वाधर रूप से रखा गया, लाल रंग का, पीठ के बाईं ओर, बीच में मौजूद है।

5. बीच में छाती के बाईं ओर दर्द की शिकायत।कोमलता मौजूद थी।"

(15) उन्होंने छानो की चिकित्सकीय जांच भी की और उसके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

1. " 1 x 1.5 से. मी. आकार का घाव अनियमित आकार का, मांसपेशियों में गहरा, रक्तस्राव और यह खोपड़ी के बाईं ओर था।

2. 1 x 1 से. मी. आकार का घाव अनियमित आकार का, मांसपेशियों में गहरा, रक्तस्राव और यह खोपड़ी के दाहिने हिस्से में था।

3. 1 x 1.2 सेमी आकार का घाव अनियमित आकार का, मांसपेशियों में गहरा, रक्तस्राव और यह बाएं स्कैप्युलर क्षेत्र पर था।4. 3 x 1 से. मी. आकार का कटा हुआ घाव, बाईं तर्जनी के ऊपर खून बहने के साथ, हड्डी के गहरे, नियमित मार्जिन के साथ तिरछे रूप से रखा गया है।

5. 4 x 2 से. मी. के आकार का घाव तिरछा तिरछा लाल रंग में रखा गया था, कोमलता मौजूद थी और यह बाईं जांघ के पार्श्व की ओर मौजूद थी।"

(16) उन्होंने बीर सिंह की चिकित्सकीय जांच भी की और उनके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

"1. 4 x 1 से. मी. आकार का कटा हुआ घाव आकार में दुबला, स्पष्ट मार्जिन, मांसपेशियों की गहराई, रक्तस्राव के साथ, खोपड़ी के बीच में मौजूद होता है।

2. आकार 2 x 1 सेमी अनियमित आकार की सूजन, खोपड़ी के दाहिने हिस्से के पार्श्व भाग पर कोमलता के साथ

अस्थायी क्षेत्र।"

(17) उन्होंने सुरेश की चिकित्सकीय जांच भी की और उनके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

1. “ 3 x 1 से. मी. आकार का घाव, अनियमित सीमा, मांसपेशियों की गहराई, खोपड़ी के बीच में रक्तस्राव के साथ।

2. 4 x 1 सेमी आकार का घाव, अनियमित मार्जिन के साथ दुबला, मांसपेशियों में गहरा, खोपड़ी के बीच में रक्तस्राव के साथ।

3. कलाई के जोड़ के पास बाएं अग्र-भुजा के मध्य और पृष्ठभाग पर मौजूद कोमलता के साथ सूजन को कम करें।

4. 8 x 6 से. मी. आकार का घाव, लाल रंग, बाएं स्कैप्युलर क्षेत्र पर कोमलता के साथ।

5. बाएं कंधे के जोड़ पर कोमलता के साथ 5 x 2 सेमी लाल रंग के आकार का घाव।

6. 8 x 2 सेंटीमीटर आकार का घाव, टी-8 से 10 के स्तर पर पीठ के बाईं ओर कोमलता के साथ तिरछे लाल रंग में रखा गया है।

7.टी-12 से एल-2 के स्तर पर पीठ के बाईं ओर कोमलता के साथ तिरछे, लाल रंग में 6 x 2 सेमी आकार का घाव।

8. बाईं ओर कोमलता के साथ दर्द की शिकायत

पैर।”

(18) उन्होंने भरपाई की चिकित्सकीय जांच भी की और उनके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

“1. निचले हिस्से में कोमलता के साथ दर्द की शिकायत

छाती बायीं ओर और पेट के ऊपरी हिस्से में।

2. कूल्हे के बाईं ओर 4 x 2 सेंटीमीटर दुबला, लाल रंग का घाव।”

(19) उन्होंने शिश राम की चिकित्सकीय जांच भी की और उनके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

1. “ चेहरे के दाहिने तरफ मौजूद रक्तस्राव के साथ 1 x 1 सेमी सतही का घर्षण।

2. दाहिने कंधे पर रक्तस्राव के साथ 1 x 1 सेमी सतही घर्षण।

3. आकार 3 x 1 सेमी अनियमित आकार का घाव, पीठ पर दाहिने अग्र-भुजा पर रक्तस्राव के साथ मांसपेशियों का गहरा घाव।

4. 3 x 1 से. मी. आकार का घाव अनियमित आकार का, मांसपेशियों में गहरा, डोर्सम पर दाहिने अग्र-भुजा पर रक्तस्राव के साथ।5. रक्तस्राव के साथ 6 x 1 सेमी आकार का घर्षण, बाईं भुजा के डोरम के ऊपर सतही।

6. 2 x 1 से. मी. आकार का घाव अनियमित आकार का, मांसपेशियों में गहरा, बाएं हाथ के निचले हिस्से में खून बहने के साथ।

7. तर्जनी के आधार के पास बाएं हाथ के पृष्ठभाग पर मौजूद कोमलता के साथ सूजन को कम करें।"

(20) उन्होंने सुबे सिंह की चिकित्सकीय जांच भी की और उनके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

"1. 2 x 1 सेमी आकार का घाव, अनियमित आकार,

मांसपेशियों की गहराई, बीच में दाहिने पैर के पूर्ववर्ती हिस्से में रक्तस्राव के साथ।

2. आकार 3 x 1 सेमी लाल, अनियमित आकार का घाव ऊपरी भाग में दाहिने हाथ के पूर्ववर्ती हिस्से में मौजूद होता है।"

(21) उन्होंने चिकित्सकीय रूप से किर्पा की भी जांच की और उसके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

"1. 2 x 1 सेमी आकार का घाव, अनियमित आकार,

खोपड़ी के दाहिने हिस्से में रक्तस्राव के साथ मांसपेशियों की गहराई।

2. आकार 3 x 2 सेमी अनियमित आकार का घाव, दाहिने कंधे के जोड़ पर मौजूद कोमलता के साथ लाल रंग का।

3. आकार 2 x 1 से. मी. अनियमित आकार का घाव, पीठ पर दाहिने अग्र-भुजा पर कोमलता के साथ लाल रंग का होता है।"

(22) उन्होंने बुध राम की चिकित्सकीय जांच भी की और उनके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

"1. सूजन आकार 3 x 1 सेमी के साथ घाव, अनियमित

दाहिने हाथ के पृष्ठभाग पर मौजूद रक्तस्राव के साथ आकार।

2. बाएं कंधे पर मौजूद कोमलता के साथ आकार में 3 x 1.5 सेमी दुबला लाल रंग का घाव।"

(23) उन्होंने रुरा राम के शव का पोस्टमार्टम भी किया। उनकी राय के अनुसार मृत्यु का कारण सिर में चोट के कारण कोमा था।सभी चोटें प्रकृति में पूर्व-मृत्यु थीं और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।चोट और मृत्यु के बीच की संभावित अवधि कुछ मिनट और मृत्यु और पोस्टमॉर्टम परीक्षा के बीच 6 से 24 घंटे थी।

(24) जिरह में, उन्होंने कहा कि उन्होंने बीर सिंह की पत्नी बेडो की भी चिकित्सकीय जांच की।उसने उस पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

1. दाहिने अग्र-भुजा के बीच में मौजूद कोमलता के साथ नियमित आकार की सूजन को कम करें।

(25) उन्होंने सरोज की चिकित्सकीय जांच भी की और उनके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

1. " 3 x 1.5 से. मी. आकार का घाव आसपास की सूजन के साथ अनियमित आकार का होता है, बीच में खोपड़ी के पीछे की ओर रक्तस्राव के साथ मांसपेशियों में गहरा होता है।

2. दाहिने अग्र-भुजा के मध्य भाग पर ताजा रक्तस्राव के साथ 2 x 1.5 सेमी के आकार के घर्षण के साथ सूजन को कम करें।

3. दाहिने पैर के पृष्ठभाग पर कोमलता के साथ सूजन मौजूद थी।

4. बाएं जांघ के पार्श्व भाग पर मौजूद कोमलता के साथ 4 x 2 सेमी लाल रंग के आकार का घाव।"

(26) उन्होंने बिमला की चिकित्सकीय जांच भी की और उसके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

1. " दाहिने अग्र-भुजा के पृष्ठभाग पर कोमलता के साथ 3x 2.5 सेमी अनियमित आकार की सूजन मौजूद थी।

2. लम्बर क्षेत्र में पीठ के बाईं ओर कोमलता के साथ 6x2 सेमी दुबला, लाल रंग का घाव मौजूद था।

3. लम्बर क्षेत्र में बाईं ओर पीठ पर 4x2 सेमी आकार का चोट, कोमलता के साथ दुबला लाल रंग मौजूद था।

4. बीच में बाएं पैर के पृष्ठभाग पर मौजूद आकार 3 x 2 सेमी रैखिक लाल रंग का घाव।"

(27) उन्होंने सूरज भान की चिकित्सकीय जांच भी की और उनके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

"1. 3x1 से. मी. आकार का घाव अनियमित आकार का होता है, खोपड़ी के बीच में रक्तस्राव के साथ मांसपेशियों का गहरा होता है।

2. 4x1 से. मी. आकार की चोट अनियमित आकार की, लाल रंग की, बाएं कंधे के बाईं ओर कोमल होती है।"

(28) उन्होंने सुदेश की चिकित्सकीय जांच भी की और उसके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

"1. अम्पुटा बाएं बीच की उंगली का दूर का हिस्सा है, जो नाखून के हिस्से से जुड़ा हुआ है।रक्तस्राव हो रहा था।

2. 1. 5 से. मी. x 1 से. मी. आकार का घाव अनियमित आकार का होता है, बीच में बाएं अग्र-भुजा के उदर भाग पर रक्तस्राव के साथ मांसपेशियों में गहरा होता है।"

(29) पीडब्लू-10 सत नारायण ने वर्ष 2001 से संबंधित वासिका रजिस्टर लाया।क्रम संख्या 178 दिनांकित 21.05.2001 में प्रविष्टि के अनुसार राजा राम और मौजी राम विक्रेताओं ने सूरज भान, बलबीर, राजेश, विजय कुमार, मुक्तैर और लीला राम के पक्ष में जमीन 4,24,000/- रुपये में बेच दी थी। उन्होंने बैनामा Ex.PY को साबित किया।

(30) पीडब्लू-12 कृष्ण भी जाँच अधिकारियों में से एक थे।उन्होंने कार्यालय उप पंजीयक बावल से बैनामा Ex.P5 की प्रति प्राप्त की।उनके अनुसार, 4 अभियुक्तों ने 27.09.2001 पर इल्लाका मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

(31) पीडब्लू-14 एच. सी. भूप सिंह ने गवाही दी कि 08.06.2001 के इन्साफ बयान बयान के अनुसार, आरोपी सूरज भान पुलिस दल को खेतों में ले गया।उन्हें एक फारसी बरामद कराई।हरद्वारी से एक फारसी भी बरामद हुई।रमेश ने एक जेली Ex.P3 बरामद की।विजय के पास से एक फारसी Ex.P4 भी बरामद हुई।बरामद सभी वस्तुओं को जब्त

कर लिया गया है।हरद्वारी ने एक इन्साफ बयान बयान दिया जिसके आधार पर एक लाठी बरामद की गई।लीला राम को भी बरामद ट्रैक्टर मिला।हजारी ने अपने इन्साफ बयान बयान के आधार पर हरद्वारी के खेत से एक लाठी भी बरामद कराई।

(32) पीडब्लू-15 पृथ्वी सिंह ने अपीलार्थियों से पूछताछ की थी, जिसके आधार पर इन्साफ बयान दर्ज किए गए और अपराध के हथियार बरामद किए गए।

(33) पीडब्लू-17 राजेंद्र सिंह ने जाँच रिपोर्ट तैयार की।वह घायलों को अस्पताल ले गए और उनके बयान दर्ज कराए।इन्साफ बयान के अनुसार, सूरज भान ने मैदान से फारसी बरामद कराई।विजय ने अपनी कार्यशाला से फारसी भी बरामद कराई।इसी तरह रमेश ने भी एक इन्साफ बयान दिया जिसके आधार पर जेली बरामद की गई।हरद्वारी के कहने पर फारसी बरामद की गई।

(34) डी. डब्ल्यू.-1 चांद राम ने अपदस्थ कर दिया कि वह एक बलिया राम के साथ सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने उसी दिन सुबह 12.00 (रात) आजादपुर सब्जी बाजार में वाहन को लोड किया।वे 06.06.2001 पर सुबह लगभग 4 बजे हिसार पहुँचे।गाड़ी को उतारने में लगभग दो घंटे लग गए।

(35) डी. डब्ल्यू.-2 हजारी ने अपदस्थ कर दिया कि भूप सिंह ने उनसे अपने भाई उदय राम के आवास पर लगभग 5 बजे मुलाकात की। उन्होंने उन्हें उनके गांव में भी देखा।

(36) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ताओं ने जबरन खेत की जुताई की थी।पीडब्लू-1 कंवर सिंह ने इस घटना की जानकारी अपने पिता और चाचाओं को दी। उनके पिता शीश राम और चाचा रुरा राम और बुद्ध राम मौके पर पहुंचे।उनके चाचा रूरा राम ने अपीलकर्ताओं से कहा कि वे खेत पर जबरन कब्जा न करें।इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।रुरा राम के सिर पर फारसी प्रहार किया गया और परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें आईं।रूरा राम ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया।इस घटना को पीडब्लू-2 बीर सिंह, पीडब्लू-3 सुरेश, पीडब्लू-6 शिश राम ने देखा था। पीडब्लू-7 डॉ. अशोक कुमार ने उनकी चिकित्सकीय जांच की।रुरा राम के शव का पोस्टमार्टम भी किया गया। पीडब्लू-7 डॉ. अशोक कुमार के अनुसार, मृत्यु का कारण कोमा था जो सिर की चोट के परिणामस्वरूप था।चोटें पूर्व-मृत्यु प्रकृति की थीं।शिकायतकर्ता पक्ष को 42 चोटें और 8 फ्रैक्चर हुए हैं।मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बेडो का एक फ्रैक्चर था।

(37) लड़ाई की उत्पत्ति भूमि के टुकड़े के कारण थीं।शिकायतकर्ता के अनुसार वे जमीन पर खेती कर रहे थे।लेकिन तथ्य यह है कि शरबती की मृत्यु हो गई।यह भूमि मौजी राम और राजा राम को विरासत में मिली थी। उन्होंने बैनामा Ex.PY के माध्यम से

सूरज भान, बलबीर और रमेश को जमीन बेच दी थी। बैनामा की सामग्री के अनुसार, कब्जा भी विक्रेताओं को सौंप दिया गया था।इस तथ्य को पीडब्लू-1 कंवर सिंह ने अपनी जिरह में पहले ही स्वीकार कर लिया है कि बैनामा के निष्पादन के समय, राजा राम और मौजी राम ने मैदान का कब्जा खरीददारों को सौंप दिया था।पीडब्लू-3 सुरेश ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि जिस भूमि पर घटना हुई थी, वह राजा राम और मौजी राम (उनके चचेरे भाइयों) के हिस्से में थी।अपीलार्थियों और उनके बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे। पीडब्लू-6 शीश राम ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उत्परिवर्तन और अधिकार शरबती के नाम पर और उसकी मृत्यु के बाद, उसके दो बेटों राजा राम और मौजी राम के नाम पर दर्ज किया गया था। बैनामा के निष्पादन के बाद ही उन्हें भूमि की बिक्री के बारे में पता चला।उन्होंने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि रूरा राम ने घटना से पहले ही अपनी जमीन का निपटान कर दिया था।

(38) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि यह एक स्वतंत्र लड़ाई थी।यह लड़ाई अचानक और गंभीर उकसावे के कारण हुई है।उनके मुवक्किलों को अपनी भूमि के कब्जे की रक्षा करने का अधिकार था।याचिकाकर्ताओं को भी चोटें आई हैं।

(39) तथ्य यह है कि हरद्वारी लाल ने मृतक के सिर पर फारसी प्रहार किया था।विजय ने मृतक के सिर पर फारसी प्रहार किया था।रमेश ने मृतक की छाती पर जेली से वार किया था।हजारी ने मृतक के दाहिने हाथ की हथेली के पीछे लाठी से वार किया था। बलबीर ने मृतक की नाक पर फारसी प्रहार किया था।सुमित ने शीश राम के बाएं कंधे पर फारसी प्रहार किया था। भूप सिंह ने मृतक के माथे पर फारसी प्रहार किया था। सूरज भान ने पीडब्लू-2 बीर सिंह के सिर पर फारसी प्रहार किया था।सुमित और बिमला ने शीश राम को चोट पहुँचाई थी। अपीलकर्ताओं ने अपराध के हथियार के रूप में फारसी और लाठियों का इस्तेमाल किया था।अपीलार्थियों का कार्य पूर्व नियोजित नहीं है।जमीन पर कब्जा करने के लिए मौके पर लड़ाई हुई है।उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि शिकायतकर्ता पक्ष मौके पर मौजूद होगा।केवल पीडब्लू-1 कंवर सिंह मौके पर मौजूद थे।उसने अपने पिता और चाचाओं को सूचित किया, जो मौके पर पहुंचे।इसके बाद अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता पर हमला किया जिसके कारण रुरा राम की मौत हो गई। अपीलार्थियों का मामला आई. पी. सी. की धारा302 के तहत नहीं आएगा।

(40) अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत आता है।

(41) हालाँकि, चूंकि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला करते समय फारसी, जेली का इस्तेमाल किया था, इसलिए उनका इरादा शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों को मारने का था।वे फारसी और लाठियों से लैस ट्रैक्टर पर आए।इस प्रकार मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत आएगा।

(42) तदनुसार अपील आंशिक रूप से अनुमत है।अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 302 से धारा 304 भाग 1 में बदल दिया गया है। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा को शेष अपराधों के लिए बरकरार रखा जाता है।याचिकाकर्ता जमानत पर हैं।सजा की मात्रा पर उन्हें सुनने के लिए उन्हें अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाता है।

(43) वाक्य की मात्रा पर सुनवाई के लिए 14.12.2018 पर सूचीबद्ध करें।

(44) ऊपर दर्ज किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता (शिकायतकर्ता) द्वारा सजा बढ़ाने और मुआवजे के लिए दायर आपराधिक संशोधन को खारिज कर दिया जाता है।

एंजेल शर्मा

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैं ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता हैं । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेशय के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेशय के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीता शर्मा
अनुवादक